अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रतिवेदन के बारे में

हरियाणा सरकार के अधीन 48 विभाग तथा 41 स्वायत्त निकाय क्रियाशील हैं, जैसा कि ***परिशिष्ट 1.1*** में वर्णित है। इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि रिपोर्टिंग के लिए महत्व का स्तर लेन-देन की प्रकृति, मात्रा और परिमाण के अनुरूप होना चाहिए। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने और ऐसी नीतियां व निर्देश तैयार करने में सक्षम बनाएंगे जिससे संगठनों की परिचालन दक्षता और वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और इस प्रकार बेहतर गवर्नेंस में योगदान मिलेगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा के प्राधिकार, लेखापरीक्षा की योजना और दायरा तथा लेखापरीक्षा के प्रति सरकार की जवाबदेही की व्याख्या करता है। अध्याय 2 में निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है, अध्याय 3 में विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष शामिल हैं और अध्याय 4 में सरकारी विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा उत्पन्न टिप्पणियां शामिल हैं।

1.2 बजट प्रोफाइल

वर्ष 2019-24 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमानों तथा वास्तविक व्यय की स्थिति ***तालिका 1.1*** में दी गई है।

तालिका 1.1: 2019-24 के दौरान राज्य का बजट तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

व्यय	2019-20		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
सामान्य सेवाएं	35,358	31,884	37,228	34,734	39,680	37,948	44,001	42,069	46,245	45,398
सामाजिक सेवाएं	36,114	33,726	43,090	36,164	43,293	40,928	47,255	43,680	49,328	43,778
आर्थिक सेवाएं	22,770	19,238	25,020	19,048	33,954	19,549	24,943	20,657	30,499	24,020
सहायता अनुदान एवं अंशदान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल (1)	**94,242**	**84,848**	**1,05,338**	**89,946**	**1,16,927**	**98,425**	**1,16,199**	**1,06,406**	**1,26,072**	**1,13,196**
पूंजीगत परिव्यय	16,260	17,666	13,201	5,870	9,318	11,046	22,344	11,665	18,460	15,921
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,407	1,309	1,213	926	1,239	966	3,662	2,462	4,198	4,055
लोक ऋण का भुगतान	20,257	15,776	22,592	29,498	28,161	25,473	35,052	53,021	55,220	59,194
आकस्मिक निधि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आकस्मिक निधि का विनियोग	-	-	-	800	-	-	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,41,707	42,171	51,356	50,245	59,394	51,728	55,066	67,825	69,355	74,037
अंतिम नकद शेष	-	3,999	-	3,148	-	4,946	-	3,834	-	5,438
कुल (2)	**1,79,631**	**80,921**	**88,362**	**90,487**	**98,112**	**94,159**	**1,16,124**	**1,38,807**	**1,47,233**	**1,58,645**
कुल योग (1+2)	**2,73,873**	**1,65,769**	**1,93,700**	**1,80,433**	**2,15,039**	**1,92,584**	**2,32,323**	**2,45,213**	**2,73,305**	**2,71,841**

स्रोतः राज्य सरकार के बजट की वार्षिक वित्तीय विवरणियां एवं स्पष्टीकरण ज्ञापन।

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

2023-24 के दौरान ₹ 2,73,305 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध संसाधनों का उपयोग ₹ 2,71,841 करोड़ था। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राज्य का कुल व्यय[1] 28 प्रतिशत बढ़कर ₹ 1,03,823 करोड़[2] से ₹ 1,33,172 करोड़[3] हो गया, जबकि इसी अवधि के दौरान राजस्व व्यय 33 प्रतिशत बढ़कर ₹ 84,848 करोड़ से ₹ 1,13,196 करोड़ और पूंजीगत व्यय 10 प्रतिशत कम होकर ₹ 17,666 करोड़ से ₹ 15,921 करोड़ हो गया। 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 82 से 93 प्रतिशत के मध्य रहा जबकि पूंजीगत व्यय छः से 17 प्रतिशत के मध्य रहा।

1.4 लेखापरीक्षा की योजना तथा संचालन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों और योजनाओं/परियोजनाओं के जोखिम मूल्यांकन के साथ शुरू होती है, जिसमें गतिविधियों की महत्वपूर्णता/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण, हितधारकों की अपेक्षाओं तथा पिछले लेखापरीक्षा परिणामों का आकलन शामिल किया जाता है। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर, लेखापरीक्षा की आवृत्ति तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा परिणामों से समाविष्ट एक निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय के अध्यक्ष को चार सप्ताह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के आग्रह के साथ जारी किया जाता है। जब कभी उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा परिणामों का या तो निपटान किया जाता है अथवा अनुपालन के लिए आगामी कार्रवाई करने का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हरियाणा के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाने होते हैं, में शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है।

2023-24 के दौरान, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एक अधीनस्थ संगठन के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा के कार्यालय द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 के अंतर्गत विभागों की 999 लेखापरीक्षित इकाइयों और धारा 14, 19(2), 19(3) एवं 20(1) के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की 38 लेखापरीक्षित इकाइयों की अनुपालन लेखापरीक्षा की गई थी।

---

1 राजस्व परिव्यय, पूंजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम का योग।

2 ₹ 1,03,823 करोड़ = राजस्व व्यय: ₹ 84,848 करोड़ + पूंजीगत परिव्यय: ₹ 17,666 करोड़ + ऋण एवं अग्रिम: ₹ 1,309 करोड़।

3 ₹ 1,33,172 करोड़ = राजस्व व्यय: ₹ 1,13,196 करोड़ + पूंजीगत परिव्यय: ₹ 15,921 करोड़ + ऋण एवं अग्रिम: ₹ 4,055 करोड़।

1.5 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां तथा सरकार के लेखापरीक्षा को उत्तर

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन में कई महत्वपूर्ण कमियों, जो विभागों के कार्यक्रमों की सफलता तथा कार्यविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, के साथ-साथ चयनित विभागों में आंतरिक नियंत्रणों की गुणवत्ता पर रिपोर्ट दी। सुधारात्मक कार्रवाई करने तथा नागरिक सेवाओं में सुधार लाने हेतु कार्यकारिणी/प्रबंधन को उचित सिफारिशें प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। विभागों द्वारा छः सप्ताह की समय अवधि में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप अनुच्छेदों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजनी अपेक्षित है।

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा और 10 अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद[4] शामिल हैं, जो संबंधित प्रशासनिक सचिवों को अग्रेषित किए गए थे। निष्पादन लेखापरीक्षा और विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एस.एस.सी.ए.) के संबंध में प्रशासनिक सचिव के साथ एग्जिट कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। संबंधित प्रशासनिक सचिवों से नौ अनुच्छेदों के उत्तर प्रतीक्षित थे (फरवरी 2026)।

1.6 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवधिक निरीक्षण के बाद प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा लेखापरीक्षा किए गए कार्यालयों के अध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए जाते हैं, जिनकी प्रतियां उनके अगले उच्च प्राधिकारी/प्रबंधन को प्रेषित की जाती हैं। कार्यकारी प्राधिकारियों/प्रबंधनों से अपेक्षा की जाती है कि वे बताई गई त्रुटियों तथा चूकों को शीघ्रता से ठीक करें और चार सप्ताह के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की मानीटरिंग तथा अनुपालना को सुविधाजनक बनाने के लिए, छः माह से अधिक लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्ध-वार्षिक रिपोर्टें विभागों के संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजी जाती हैं।

31 मार्च 2024 तक राज्य में विभिन्न विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों से संबंधित विभिन्न लेखापरीक्षित इकाइयों के विरुद्ध 8,135 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 26,651 अनुच्छेद लंबित थे, जैसा कि ***तालिका 1.2*** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों का वर्षवार विवरण

वर्ष	निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	अनुच्छेदों की संख्या
2017-18 से पहले	5,989	14,296
2018-19	570	2,155
2019-20	454	1,789
2020-21	280	1,224
2021-22	228	1,324
2022-23	237	1,891
2023-24	377	3,972
कुल	**8,135**	**26,651**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) में अनुरक्षित निरीक्षण प्रतिवेदन रजिस्टरों से ली गई सूचना।

[4] एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित।

मार्च 2024 तक लंबित इन निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से इंगित की गई अनियमितताओं का श्रेणी-वार विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

1.7 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

लोक लेखा समिति में चर्चा

1.7.1 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

हरियाणा सरकार, वित्त विभाग द्वारा जारी (अक्तूबर 1995) तथा मार्च 1997 एवं जुलाई 2001 में दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर स्व-प्रेरणा से कार्रवाई आरम्भ करनी चाहिए भले ही उन मामलों को लोक लेखा समिति द्वारा जांच हेतु लिया गया है या नहीं। प्रशासनिक विभागों से विधानमंडल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उनके द्वारा की गई अथवा की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई दर्शाते हुए कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी।

2020-25 के दौरान राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए गए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का विवरण ***तालिका 1.3*** में दिया गया है।

तालिका 1.3: 2020-25 के दौरान राज्य विधानसभा में प्रस्तुत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की स्थिति

क्र. सं.	अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	समिति जिसमें अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी है	मार्च 2024 तक चर्चा की स्थिति
1.	अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र) - 2019 (वर्ष 2020 की प्रतिवेदन संख्या 3)	16 मार्च 2021	लोक लेखा समिति	2021-22 के दौरान चर्चा की गई
2.	सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्रों पर अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - 2020 (वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 4)	22 दिसंबर 2021	लोक लेखा समिति/ लोक उपक्रम समिति	2022-23 और 2023-24 के दौरान चर्चा की गई
3.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 2)	8 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
4.	परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 4)	8 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
5.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ऊर्जा और विद्युत, उद्योग और वाणिज्य तथा शहरी विकास क्लस्टरों की अनुपालन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 7)	10 अगस्त 2022	लोक लेखा समिति[5] तथा लोक उपक्रम समिति[6]	2023-24 के दौरान चर्चा की गई
6.	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-2 (वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 1)	22 मार्च 2023	लोक लेखा समिति तथा लोक उपक्रम समिति[7]	2023-24 के दौरान चर्चा की गई

[5] अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के तीन अनुच्छेद (4.1, 4.2 और 4.3)।

[6] अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के छः अनुच्छेद (2.1 से 2.3 और 3.1 से 3.3)।

[7] अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का एक अनुच्छेद (5.17)।

क्र. सं.	अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का नाम	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तिथि	समिति जिसमें अनुपालन/निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा की जानी है	मार्च 2024 तक चर्चा की स्थिति
7.	ग्रामीण और शहरी जल आपूर्ति योजनाओं पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2023 की प्रतिवेदन संख्या 3)	25 अगस्त 2023	लोक लेखा समिति	2024-25 के दौरान चर्चा की गई
8.	जन स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्या 2)	13 नवंबर 2024	लोक लेखा समिति	चर्चा के अधीन
9.	संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - सिविल तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (2025 की प्रतिवेदन संख्या 2)	27 अगस्त 2025	लोक लेखा समिति[8] तथा लोक उपक्रम समिति [9]	कृत कार्रवाई टिप्पणियां प्रतीक्षित

1.7.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उल्लिखित वसूली के लिए कार्रवाई प्रतीक्षित

वर्ष 2000-01 से 2019-20 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में 33 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के माध्यम से इंगित ₹ 1,961.17 करोड़ की वसूली के लिए कार्रवाई मार्च 2025 तक प्रतीक्षित थी। लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित बकाया वसूलियों का विवरण ***परिशिष्ट 1.3*** में दिया गया है। लोक लेखा समिति ने संबंधित विभागों को यह राशि वसूल करने की भी सिफारिश की है।

1.7.3 लोक लेखा समिति की रिपोर्टों का अनुपालन

वर्ष 1979-80 से 2024-25 के लिए लोक लेखा समिति की 16वीं से 91वीं रिपोर्ट में शामिल 649 सिफारिशों पर अंतिम कार्रवाई ***परिशिष्ट 1.4*** में दिए गए विवरण के अनुसार प्रतीक्षित थी। लोक लेखा समिति की लंबित सिफारिशों का विभाग-वार विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में दिया गया है।

[8] संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के 11 अनुच्छेद (तीन निष्पादन लेखापरीक्षाएं, एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 और 6.7)।

[9] संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के चार अनुच्छेद (7.1, 7.2, 7.3 और 7.4)।